कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.10.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा **श्री शुभम अग्रवाल**, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भदोही पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में जौनपुर की तरफ से आ रहे ग्राम रड़ई में सियाज फोर व्हीलर वाहन सवार 03 अभियुक्तो पुलिस मुठभेड़ में थाना भदोही क्षेत्र में कपटपूर्वक बेईमानी करते हुए ₹99747/- की धोखाधड़ी करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0 393/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस** का वांछित अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र स्वर्गीय बृजनाथ सहित कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आवेदक कन्हैयालाल पुत्र पांचू निवासी धसकरी थाना भदोही जनपद भदोही द्वारा दिनांक 01.09.2025 को आवेदक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा भदोही में स्थित औराई रोड रजपुरा मे समय करीब 3:16 बजें दिन में अपने ए0टी0एम0 से पैसा निकालने हेतु इन्तजार कर रहा था कि तीन पुरुष ए0टी0एम0 में आकर आवेदक का ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर 99447/- रु0 निकाल लिये। उनके द्वारा दिये गये ए0टी0एम0 कार्ड अश्वनी कुमार के नाम से है जबकि प्रार्थी का ए0टी0एम0 कन्हैया लाल का है।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा **श्री शुभम अग्रवाल**, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 07.10.2025 समय रात्रि 21:58 बजें थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत थाना भदोही पुलिस टीम एवं एसओजी टीम की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर जौनपुर की तरफ से आ रहे थाना भदोही क्षेत्रअंतर्गत ग्राम रड़ई में सियाज फोर व्हीलर वाहन सवार 03 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में थाना भदोही पर उपरोक्त घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0 393/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस** का वांछित अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र स्वर्गीय बृजनाथ सिंह निवासी ग्राम काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ हालपता- संजय नगर कालोनी पहड़िया, पाण्डेपुर थाना लालपुर जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष एवं उपरोक्त अभियोग से संबंधित प्रकाश में आए 1.युवराज सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी इटौरी सगरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष एवं 2. हिमांशु सिंह पुत्र अजय प्रताप निवासी इटौरी सगरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को ग्राम रड़ई बहद थाना भदोही से कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य सिंह द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त आदित्य सिंह पर धोखाधड़ी से संबंधित कुल आधा दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद खोखा कारतूस 09 MM ,एक अदद चार पहिया वाहन सियाज कार सिलवर रंग की वाहन सं0- UP65S2217 तथा ₹5110/- नकद, तथा 72 अदद फर्जी एटीएम कार्ड्स व 04 अदद मोबाईल बरामद** हुआ है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने के इरादे से तमंचे से फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र बृजनाथ सिंह के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल अभियुक्त के इलाज हेतु सरकारी अस्पताल महाराजा बलवंत सिंह भदोही भेजा गया है। जहां घायल अभियुक्त की स्थिति सामान्य है। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए थाना भदोही पर जुर्म मु0अ0सं0 458/2025 धारा109(1),317(2),317(4),318(4),319(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य से पूछ-ताछ की गई तो बताया की मेरा एक गैंग है जिसमे तीन से चार व्यक्ति है। हमलोग भिन्न भिन्न बैंको का फर्जी एटीएम कार्ड रखते है और किसी भी जगह भोले-भाले लोगों को जो एटीएम से पैसा निकालने आते है उनको भ्रम मे डालकर धोखे व छल से उनका एटीएम बदलकर और उसके पीन कोड की जानकारी कर फर्जी एटीएम उनको देकर उसका एटीएम कार्ड लेकर उनके खाते से एटीएम के माध्यम से पैसा निकालने का काम करके पैसा आपस मे बाट लेते है। हम लोग जनपद मे दिनांक 01.09.2025 को रजपुरा SBI बैंक के एटीएम के पास एक वृद्ध व्यक्ति को भ्रम में डालकर धोखे से छल करके उसका एटीएम कार्ड बदलकर उसको फर्जी एटीएम देकर उसके एटीएम कार्ड से कुल 99747 रूपया निकाल लिये थें। इस घटना में मेरे साथ उस दिन जनपद प्रतापगढ के दिलशाद, नाजिम तथा अफसर मौजूद रहकर घटना कारित किये थे। हम सभी लोग मिलकर बारी-बारी से उस एटीएम मे घुसकर उस व्यक्ति के साथ घटना कारित किये थे। और बराबर बराबर रूपया बाट लिये थे। उस समय मेरे साथ दिलशाद, नाजिम और अफसर मेरे गैंग मे थे और हमलोग आपस मे मिलकर ऐसी घटना को कारित करते थें लेकिन कुछ दिन पहले दिलशाद और नाजिम जनपद अमेठी में ऐसी ही घटना कारित करने के उपरान्त पकड़े गये और जेल चले गए ,मैं मौके से बचकर भाग गया था इसके बाद मै स्वंय पकड़े गए इन दो साथियों के साथ एक अलग गैंग बनाया और आज हमलोग जनपद भदोही में पुनः ऐसी ही घटना कारित करने के उद्देश्य से आ रहे थें कि आप लोगों ने हमलोगों को घेर कर पकड़ लिया। मैं अपने तथा अपने साथियों को बचाने के उद्देश्य से आप लोगों पर तमन्चे से फायर किया था। आज जो धन रू0 4010/- मेरे पास से बरामद हुआ है वो धन मेरे हिस्से का बटवारा का है जो भदोही में घटना कारित करते समय मुझे 25000/-रूपया मिला था। शेष पैसा मैने खर्च कर दिया है। तीनो व्यक्तियों के कब्जे से भारी मात्रा मे भिन्न भिन्न बैको के बरामद शुदा एटीएम कार्ड के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि ये सभी एटीएम कार्ड फर्जी है जो हमलोग दूसरे व्यक्तियों को भ्रम में छल पूर्वक धोखे में डालकर उनका मूल एटीएम कार्ड लेकर उसे फर्जी एटीएम कार्ड दे देते हैं। बरामदशुदा वाहन सियाज कार के नम्बर प्लेट के सम्बन्ध में मे पूछा गया तो सभी ने यह बताया की हमलोग नम्बर प्लेट बदल कर इस गाडी से चलते है तथा अपराध कारित करते हैं। अभियुक्तगणों के द्वारा कूटरचित नम्बर प्लेट चार पहिया वाहन मे लगाया हुआ पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना के पूर्व भी मैंने दिनांक 17.08.2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर थाना गोपीगंज मे बैंक आफ बड़ौदा के एटीएम को बदलकर कुल 20,000/- (बीस हजार रूपया) निकाल लिया था। उस धन को भी हमलोगों ने आपस मे बराबर बराबर बाट लिया था। जिसके संबंध में थाना गोपीगंज पर मु0अ0सं0374/2025 धारा 318(4),316(2)बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.आदित्य सिंह पुत्र स्व0 बृजनाथ सिंह निवासी ग्राम काझा थाना रानीपुर जिला मऊ,हालपता संजय नगर कालोनी पहडिया पाण्डेयपुर थाना लालपुर जनपद वाराणसी।

2.हिमांशु सिंह पुत्र स्व0 अजय प्रताप सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्रामं इटौरी,पो0 सगरा सुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

3.युवराज सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्रामं इटौरी,पो0 सगरा सुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

वांछित अभियुक्त का विवरण

1.अफसर पुत्र अज्ञात नि0 ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ

2.दिलशाद व नाजिम पुत्रगण अज्ञात नि0गण ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ वर्तमान समय में जिला कारावास अमेठी में निरुद्ध है,जिसके संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 09 MM ,व एक अदद चार पहिया वाहन सियाज कार सिलवर रंग, 5110 रूपया नकद, 72 अदद फर्जी एटीएम कार्ड व 04 अदद मोबाईल बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

सम्बन्धित मु0अ0सं0 393/25 धारा 318(4),319(2) बीएनएस थाना भदोही जनपद भदोही व कायमी मु0अ0सं0-458/25धारा109(1),317(2),317(4),318(4),319(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

टीम -1 प्रभारी चौकी रजपुरा उ0नि0 अजय कुमार ओझा, उ0नि0कैलाश सिंह यादव का0 श्रीराम सरोज थाना भदोही जनपद भदोही।
टीम-2 निरी0श्यामबहादुर यादव प्रभारी एय0ओ0जी0 उ0नि0राजकुमार पाठक प्रभारी सर्विलांस सेल मु0आ0राधेश्याम कुशवाहा हे0का0धीरेन्द्र श्रीवास्तव हे0का0हरिकेश यादव हे0का0बृजेश सिंह सुर्यवंशी हे0का0 नागेन्द्र यादव का0सुनिल कन्नौजिया का0गोपाल खरवार का0नीरज यादवका0अहम सिंह का0हिमान्शु सिंह का0शेराफुल हसन का0प्रिन्श भार्गव का0राघवेन्द कुशवाहा का0 प्रत्युष पाठक

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1.आदित्य सिंह पुत्र बृजनाथ सिंह नि0-काझा नरीम पट्टी थाना रानीपुर जिला मऊ , हाल पता-प्रेमनगर कालोनी पाण्डेयपुर कैंट वाराणसी

1.मु0अ0स0-580/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना बडागांव वाराणसी
2.मु0अ0स0-424/24 धारा 3(5)/317(2)/318(2)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली मऊ जिला-मऊ
3.मु0अ0स0-366/22 धारा 420 भादवि थाना मंडुवाडीह वाराणसी
4.मु0अ0स0-214/23 धारा 420 भादवि थाना मंडुवाडीह वाराणसी
5.मु0अ0स0-219/23 धारा 411/420 भादवि थाना मंडुवाडीह वाराणसी
6.मु0अ0स0-139/23 धारा 420 भादवि थाना मंडुवाडीह वाराणसी
7.मु0अ0स0-228/23 धारा 420 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी।

2.हिमांशु सिंह पुत्र स्व0 अजय प्रताप सिंह नि0-इटोरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ

1.मु0अ0स0-256/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना सांगीपुर प्रतापगढ
2.मु0अ0स0-281/18 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना सांगीपुर प्रतापगढ
3.मु0अ0स0-58/19 धारा 307 भादवि थाना सांगीपुर प्रतापगढ
4.मु0अ0स0-396/19 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 66डी थाना जेठवारा प्रतापगढ
5.मु0अ0स0-411/20 धारा 34/419/420/466/467/468/471 भादवि 66/66सी/66डी थाना गोरीगंज अमेठी।

3.युवराज सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह नि0-पूरेअभिमान सिंह इटोरी थाना लीलापुर जिला प्रतापगढ
आपराध-NIL